

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक 11/16/20116 की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (सूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कौरत अशोक**

2. चर्तमान धारा

3. चर्तमान बेतन 14370.32.00 अगली बेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2017

सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया
गह तथा अन्य भवन	जलाई के नाम पर नहीं हो जाता
तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या-संबंध है
(1)	(2)
(3)	(4)
(5)	(6)
(7)	(8)

बचालीयर

रु50,00,000/-

विचासत में ग्राम साम्पालन (नियुक्ति वाली) के द्वारा

पैदलक सम्पत्ति

नहीं

-

इसाधार

कौरत अशोक

- * यहां लाए न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मानस में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां चर्तमान दिव्यता के सदर्शन में लागभग मूल्य बताया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पद्धति भी सम्भवित है।
- दिव्यणी : मध्यप्रदेश राजसभीय सेवक (अन्नराज) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रयोग श्रेणी, दिव्य श्रेणी तथा रुपीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकारी है कि वह सेवा में पद्धति नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु भानी की अवधि के प्रथमां पर पर्याप्त की तापा-उसके द्वारा आवाहने नाम पर या किसी अन्य घावत के नाम पर पर्याप्त या बेक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के बारी दे।

फोरम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, दिनांक ३१-१२-२०१६ की स्थिति में

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - **कैलाश - चन्द्र आच**

2. चर्मान धारित पद - **सहार ग्रेड - १**

3. चर्मान वेतन । ३६५० + २४०० - अगली बेतवाहद की तारीख ०१.०७.२०१७

सम्पत्ति का नाम तथा व्याप्रे	उस विले, उप संभाग, तारुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**चर्मान मूल्य	चारि स्वर्ण के नाम पर न हो तो बताये कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया विवाह, पट्टा, घंटक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा छोरा	सम्पत्ति से बांधिक आय	अधिकृत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे ग्रामों में जहां गृहों का सही-सही निषरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्दां में सामान्य मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अस्थानानीन पर्दे भी सम्भवित है।
टिप्पणी : भव्यप्रद राजस्व के नियम १९७९ के नियम १४(३) के अधीन प्रधम व्रेणी, हितीय श्रेणी तथा दूसीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पद्धती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अधिके के प्रथात् पठ और प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या उसके अधिकारी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या वेदाक पर उसके द्वारा भावित समस्त भावल सम्पत्ति के ब्याए।

इस्तावधार

कैलाश चन्द्र आच

नाम : *कैलाश चन्द्र आच*

पद : *सहार ग्रेड - १*

विभाग : *शासन लोकल तथा प्रमाणान्वयक*

उपायकार

फार्म

प्रधान नियुक्ति के समय अवल सम्पति का विवरण, दिनांक ३१/१२/२०१६ की स्थिति में

1. आधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - २०५७५ - शिंह लिखा दिया गया।

3. वर्तमान बैतन ४५७० + २५७० अली बोलबढ़ि की तारीख ०१/०७/२०१७

2. वर्तमान धारा पद २५८० अली बोलबढ़ि

सम्पति का नाम तथा व्याप्रि	गाँव स्थान का नाम पर न हो तो वर्तमान स्थान पर लिखें	उसे किस प्रकार अंजित किया गया					
सम्पति का नाम, जिसमें गाँव तथा अन्य भवन	भूमि	**द्वितीय, पट्टा, बाख, विरासत, गाँव की जारी और जिसमें अंजित की गई हो उसका नाम					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

MIL

इस्ताब्दर

- * जहां लाए न हो जात दीजिए।
- ** ऐसे घासते जाते दूसरी-दूसरी निषरण करना सभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्थ में लाभान्वय घतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पतालीन पट्टे भी चम्भीलित हैं।
- **** इसमें अल्पतालीन पट्टे भी चम्भीलित हैं।
- ***** यसप्रते रासायनिक सेवक (अन्तरण) नियम १९५७ के नियम १४(३) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा ने पद्धति नियुक्त भर्त अन्य और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अतिथि के प्रशान्त, यह चारपांच-चार प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थानिक की तथा उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पति के बीच दे।

नाम : २०५७५ शिंह लिखा दिया गया।

पद : सर्वाधिक चोट - तीन

विभाग : शास्त्र लू. सांख्यं प्रणाली अंगठी
वालिम्पर (मृग)

